

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 जून 2017—ज्येष्ठ 12, शक 1939

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2017

क्रमांक 409/LV-1-72-2017/1-8/स्था.—श्री अरज लाल, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6), को दिनांक 06-02-2017 से 10-02-2017 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अरज लाल, आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-6) के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
36 पेण्डीतराई	कंदई कोकड़ी खजरी पेण्डीतराई				36 पेण्डीतराई	कंदई कोकड़ी पेण्डीतराई

तहसील-पाटन

विद्यमान पटवारी हल्के का		सृजित (प्रस्तावित) नवीन पटवारी हल्के का			सृजन पश्चात् पुराने पटवारी हल्के की स्थिति	
पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ग्राम का नाम	मुख्यालय का नाम	पुराना पटवारी हल्का क्रमांक एवं मुख्यालय ग्राम	शेष ग्राम का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2 सिरसाकला	सिरसाकला चरोदा देवबलोदा	57	चरोदा	चरोदा	02 सिरसाकला	सिरसाकला देवबलोदा
3 उरला	उरला कुकदा				03 उरला	उरला
4 पाहंदा	पाहंदा परसदा मगरघटा भोथली	58	मगरघटा भोथली	मगरघटा	04 पाहंदा	पाहंदा
42 बीजाभाठा	बीजाभाठा घोरारी झाडमोखली रेंगाकठेरा डिडगा	59 60	परसदा कुकदा रेंगाकठेरा झाडमोखली डिडगा	परसदा रेंगाकठेरा	42 बीजाभाठा	बीजाभाठा घोरारी

दुर्ग, दिनांक 19 अप्रैल 2017

क्रमांक/52/अ.भू.अ./स.अ.भू.अ./2017.—छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के अधिसूचना क्रमांक 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 के अध्याय 7 की धारा 68,69,70,72,73 एवं सहपठित धारा 90 के प्रावधान अनुसार मैं आर. शंगीता कलेक्टर जिला दुर्ग एतद्वारा तहसील दुर्ग रा.नि.मं. अण्डा प.ह.नं.-43 के ग्राम बोरीगारका के आंतरिक क्षेत्रफल को अपवर्जित कर करगाडीह को पृथक राजस्व ग्राम अधिसूचित करती हूँ.

स. क्र. (1)	भूमि मदवार (2)	करगाडीह (3)
1.	ग्राम का रकबा	219.762 हे.

(1)	(2)	(3)
2.	ग्राम का मकबूजा रकबा	180.912 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	38.850 हे.
4.	आबादी भूमि का रकबा	5.96 हे.
5.	ग्राम की जनसंख्या	1135
6.	मवेशी संख्या	977

उपरोक्तानुसार नवीन ग्राम करगाडीह का क्षेत्रफल ग्राम बोरीगारका से अपवर्जित करने के पश्चात् ग्राम बोरीगारका में निम्नानुसार क्षेत्रफल रहेगा.

स. क्र. (1)	भूमि मदवार (2)	बोरीगारका (3)
1.	ग्राम का रकबा	440.548 हे.
2.	ग्राम का मकबूजा रकबा	361.958 हे.
3.	ग्राम का गैर मकबूजा रकबा	78.590 हे.
4.	आबादी भूमि का रकबा	10.66 हे.
5.	ग्राम की जनसंख्या	1391
6.	मवेशी संख्या	1566

आर. शंगीता,
कलेक्टर.